रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2435]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2011/पौष 7, 1933
No. 2435]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2011/PAUSA 7, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2915(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के 0.000 कि.मी. से 244.000 कि.मी. तक (ब्यावर – पाली – पिंडवारा सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में प्राधिकरण ने मैसर्स एल एंड टी बी पी पी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो 28.02.2011 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पी.ओ बाक्स नम्बर 979, माउंट पूनामल्ली रोड , मानापक्कम, चैन्नई - 600089 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के 0.00 कि.मी. से 244.000 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 244.120) ((जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त खण्ड " कहा गया है) ब्यावर - पाली - पिंडवारा सेक्शन का चार लेन के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त करार " कहा गया है) ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई 183.874 के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, और ऐरो

बाइपास जो दस करोड़ रुपए अथवा अधिक लागत से निर्मित हो विनिर्दिष्ट फीस का डेढ़ गुना होगी, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट अवसान की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है :

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन(एमएवी)(तीन से छः धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत(करोड़ रू. में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बहुत बड़े आकार वाला यान
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रूपये से अधिक और एक सौ करोड़ रूपये तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये अथवा उसके भाग, के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड रूपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

टिप्पण :-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए निर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय किया जायेगा।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
27.500 कि.मी., रायपुर गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	34.93
93.750 कि.मी., इंद्रानगर गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	58.427
154.00 कि.मी., बिरामी गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	50.10
202.315 कि.मी. उथामम् गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	46.417

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, आधार फीस का डेढ़ गुना होगी , का शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय करना होगा:

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।
27.500 कि.मी., रायपुर गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	21.07
154.00 कि.मी., बिरामी गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	14.90
202.315 कि.मी. उथामम् गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	17.70

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुलों/संरचनाओं के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, का शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय करना होगा:

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई(कि.मी. में) और पुल/सुरंग/संरचना की लागत (करोड़ रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
202.315 कि.मी. उथामम् गांव जिला पाली राजस्थान के निकट	0.573 कि.मी	68.48 करोड़

4. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 रुपए (एक सौ नब्बे रुपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क(दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

5. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा परंतु कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

8. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुमत्य भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों मे विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु वह पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/636/सीओ/11-12/जीसी बियावर(बियावर-पाली-पिंडवारा) बीओटी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2011

S.O. 2915(E).—Whereas by notification of the Government of India in the *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O. 1035 (E), dated *07/05/2010*, the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.00 to kilometer 244.000 [Beawar-Pali-Pindawa *section*] of National Highway No. 14 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement), with M/s. L&T BPP Tollway Private Limited having its registered office at P.O. Box no. 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai-600089 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 28/02/2011 for the development of Beawar-Pali-Pindwara *section* from Km 0.00 to Km 244.000 (design chainage 244.120) on National Highway No. 14 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 189.874 kilometer for use of the four and more lane sections and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty crore or more] and at one and half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40

4708 GI/11-2

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle commercial vehicles**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such toll plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 27.500, near village Raipur in Pali District of Rajasthan	34.93
Km. 93.750, near village Indranagar in Pali District of Rajasthan	58.427
Km. 154.00, near village Birami in Pali District of Rajasthan	50.10
Km. 202.315, near village Uthamam in Pali District of Rajasthan	46.417

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following toll plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such toll plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km. 27.500, near village Raipur in Pali District of Rajasthan	21.07
Km. 154.00, near village Birami in Pali District of Rajasthan	14.90
Km. 202.315, near village Uthamam in Pali District of Rajasthan	17.70

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /tunnel/structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km. 202.315, near village Uthamam in Pali District of Rajasthan	0.573 km	Rs 68.48 crore

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs.190.000(Rupees One hundred ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10 The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/636/CO/11-12/GC-Beawar(Beawar-Pali-Pindwara) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.